1/16
चालक

बिहार सरकार
गृह(आरक्षी) विभाग
अधिसूचना

संख्या–7 / बि0पु0ह0–203 / 2010गृ0आ0................/भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक सपठित बिहार पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 55 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार पुलिस हस्तक 1978 (समय–समय पर यथा संशोधित) में निम्नलिखित संशोधन तुरंत के प्रभाव से करते है :–

संशोधन

(1) नियम–1186 (क) (i) (घ) के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा:–

"परन्तु बिहार पुलिस एवं बिहार सैन्य पुलिस में चालक सिपाहियों की नियुक्ति हेतु बिहार पुलिस संगठन में संविदा के आधार पर नियोजित चालक उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्षो का छुट होगा।"

(2) नियम 1186 (क) (i) के बाद किया गया प्रावधान "उपरोक्त आयु सीमा दिनांक 31.12.2015 तक प्रभावी रहेगी" को "उपर्युक्त आयु सीमा का प्रावधान अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी।" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(3) बिहार पुलिस हस्तक, 1978, नियम–1186(क)(ii) में शब्द एवं अंक "10 (दशम) उत्तीर्ण एवं समकक्ष" शब्द एवं अंक "इन्टरमिडिएट (+2) उत्तीर्ण या समकक्ष" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेगें।

(4) बिहार पुलिस हस्तक 1978 खण्ड–III के परिशिष्ट 72 के खंड (4) के बाद निम्नलिखित खंड (4क) एवं (4ख) क्रमशः जोड़े जायेगें :–

"(4क) चालक सिपाहियों की सीधी नियुक्ति प्रक्षेत्र स्तर पर की जायेगी, जिसके लिए चयन समिति का गठन पुलिस महानिदेशक द्वारा किया जायेगा । चयन समिति में पुलिस अर्धाक्षक, एक मोटरयान निरीक्षक एवं जिला कल्याण पदाधिकारी तीन सदस्य के रूप में रहेंगे। वरीयतम पुलिस अधीक्षक अध्यक्ष होंगे तथा एक–एक पुलिस अधीक्षक अनुसूचित जाति एवं अल्प संख्यक समुदाय के होंगे।

"(4ख) केवल ऐसे ही उम्मीदवारों का आवेदन आमंत्रित किया जायेगा, जिनके पास रिक्ति के विज्ञापन की तिथि से कम–से–कम एक वर्ष पूर्व का निर्गत मोटर गाड़ी चलाने की अनुज्ञप्ति हो"।

(5) बिहार पुलिस हस्तक, 1978 खण्ड–III का परिशिष्ट 88, मोटर वाहन संचालन से संबंधित दक्षता परीक्षा से संबंधित विनिर्दिष्ट प्रक्रिया, समय–समय पर, यथा अधिसूचित या आदेशित संशोधन के साथ लागू होगा।

(6) बिहार पुलिस हस्तक–1978 के नियम–1186 के खंड (क) के उपखंड (vi) के बाद निम्नलिखित एक नया उपखंड (vi क) जोड़ा जायेगा :–

"(viक) मोटर वाहन के संचालन संबंधी दक्षता का परीक्षण– मात्र वैसे उम्मीदवार का जो दौड़, ऊँची एवं लम्बी कूद तथा गोला फेंक में सफल एवं सक्षम होंगे, मोटरवाहन संचालन संबंधी दक्षता की जाँच की जाएगी और उनकी योग्यता के आधार पर उन्हें निम्नलिखित रीति से अंक प्रदान किये जायेगें :–

(1) परीक्षण हेतु एक टेस्टिंग ट्रैक (नीचे दर्शाये गए चित्र के अनुसार) होगा, जिसमें छोटी गाड़ी (जीप तथा कार) को AH एवं BG के रास्ते उल्टे रूप में प्रवेश करना होगा और आयताकार ट्रैक के अन्दर गाड़ी का रुख बदलकर पुनः उल्टे रूप में BG एवं AH के रास्ते से ही बाहर आना होगा।

471/ADG (HQ)
05.03.14.

(नोटः– खंभे या ट्रैक की सीमा से गाड़ी का कोई भाग स्पर्श करता है तो उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।)

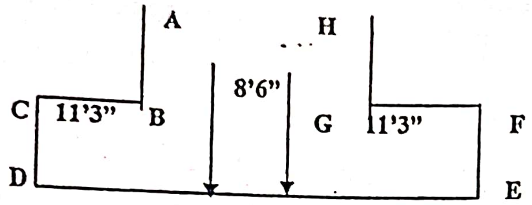

A से H = B से G = 8'6" B से C = F से G = 11'3"

C से D = E से F = 25'6" D से E = C से F = 31'

(2) उपर्युक्त टेस्टिंग ट्रैक में जीप एवं कार चलाने में अंकों का अवधारण–

(क) जीप चलाने की क्षमता की जाँच के लिए अधिकतम अंक – 10 (दस) होंगे जो निम्नलिखित रीति से दिए जायेंगेः–

समय	गेयर परिवर्तन	अंक
1 मिनट	3 गेयर	10
1 मिनट	5 गेयर	08
2 मिनट	5 गेयर	06
3 मिनट	5 गेयर	04

(ख) कार चलाने की क्षमता की जाँच के लिए अधिकतम अंक – 10 (दस) होंगे जो निम्मलिखित रीति से दिये जायेंगे–

समय	गेयर परिवर्तन	अंक
1 मिनट	3 गेयर	10
1 मिनट	5 गेयर	08
2 मिनट	5 गेयर	06
3 मिनट	5 गेयर	04

(ग) बस/ट्रक चलाने की क्षमता की जाँच (जो खुले मैदान में लिया जाएगा) के लिए अधिकतम अंक – 10 होंगे जो निम्नलिखित रीति से जाँच समिति द्वारा दिये जायेंगे :–

सभी गेयर बदलकर बिना गेयर में आवाज किये गाड़ी चलाने पर	–	04 अंक,
गाड़ी को आगे चलाकर 8 का चित्र बनाना	–	02 अंक
गाड़ी को पीछे करते हुए 8 का चित्र बनाना	–	04 अंक

(3) मोटरयान अधिनियमों एवं अन्य सुसंगत नियमावली के अधीन, सफल उम्मीदवारों के वाहन चालन ज्ञान की मौखिक जाँच यातायात के चिन्हों और संकेतों से संबंधित चयन समिति द्वारा निर्धारित 100 प्रश्नों की सूची में से 20 प्रश्न पूछे जायेंगे, जिसके लिए अधिकतम अंक 10 दिये जा सकेंगे । उम्मीदवारों द्वारा जाँच के दौरान प्रदर्शित योग्यता के आधार पर अंक दिये जायेंगे ।

(4) विभिन्न गाड़ियों के पार्ट–पूर्जे, रख–रखाव तथा लुब्रिकेटिंग इत्यादि के सामान्य ज्ञान तथा वाहनों में आनेवाली यांत्रिक एवं तकनीकी त्रुटियों के संबंध में सफल उम्मीदवारों की मौखिक जाँच की जाएगी, जिनके लिए कुल अंक 10 (दस) अवधारित होंगे।

(5) उम्मीदवारों को उपर वर्णित सभी जाँच के लिए समेकित अधिकतम 60 अंक दिये जायेंगे । यह अंक परीक्षाओं के दौरान प्रदर्शित योग्यता के आधार पर देय होंगें ।

(6) संविदा के आधार पर पुलिस संगठन में नियोजित चालकों को अधिकतम 60 अंक के अधीन प्रतिवर्ष के अनुभव के लिए 2 अंक की अधिमानता अनुमान्य होगा, जो 6 अंकों से अधिक नहीं होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/
(कौशलेन्द्र पाठक)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक – 7/वि0पु0ह0–203/2010, गृ0आ0 पटना, दिनांक फरवरी, 2014

प्रतिलिपिः– उप सचिव (ई0 गजट) वित्त विभाग, पटना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक – 7/वि0पु0ह0–203/2010, गृ0आ0 1708 पटना, दिनांक 3 फरवरी, 2014

प्रतिलिपि :– पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि बिहार पुलिस हस्तक में राज्य सरकार के आदेशानुसार संशोधित अंश को परिचालित करने की कार्रवाई की जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 233 /वि0मं0
18–1–2012

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 21-4-14

प्रतिलिपि :

1. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग/विशेष शाखा/ सैन्य पुलिस/वितंतु एवं तक सेवायें/निगरानी अन्वेषण ब्यूरो/रेलवे/बिहार पुलिस अकादमी, बिहार पटना को सूचनार्थ आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक(रेल, सैन्य पुलिस सहित)/ पुलिस महानिरीक्षक, आर्थिक उ इकाई एवं अभियान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. सभी क्षेत्री पुलिस उप महानिरीक्षक(रेल, सैन्य पुलिस सहित)/पुलिस उप महानिरीक्षक, विधुत बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. पुलिस महानिरीक्षक के सहायक(क्यू0), पुलिस महानिदेशक कार्यालय, बिहार, पटना को सूचना आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी समादेष्टा, बिहार, को सूचनार्थ एवं आ कार्यार्थ प्रेषित।
6. सभी प्रशाखा पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक(निरीक्ष0
बिहार, पटना।